(103)

विकास पथ, गाजियाबाद

पत्रांक-298/12/भू0अ0अ0/2015 दिनांक 22-7-15

मै0 यूटिलिटी एस्टेट प्रा0 लि0
जी-79, प्रीत विहार, विकास मार्ग
दिल्ली - 110092 ।

विषय- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की महायोजना 2021 में चिन्हित इंटिग्रेटिड टाउनशिप क्षेत्र के अंतर्गत धारा 143 व भू उपयोग परिवर्तन के अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 21.07.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

उक्त के संबंध मे अवगत कराना है कि उ0 प्र0 शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के द्वारा जारी एवं प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन द्वारा हस्ताक्षरित शासनादेश सख्या एम0एस0 21/8-3-13-47विविध/13 दिनाक 03.06.2013 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि आवास विभाग से संबंधित प्रक्रियाओं, योजनाओं, विकास कार्यो तथा निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित की जाने वाली इकाईयों/समस्याओं के संबंध में राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 24.12.2012 के आलोक मे धारा 143 की उद्घोषणा की आवश्यकता नही होती अपितु सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत लागू महायोजना अथवा अन्य योजना में निर्धारित भू उपयोग के अनुसार अथवा नियमानुसार भू उपयोग परिवर्तन कराने के उपरांत सक्षम प्राधिकारी से नियमानुसार अनुज्ञा प्राप्त कर विकास/निर्माण कार्य किया जायेगा ।

इस प्रकार उक्त शासनादेश के आलोक में यह स्पष्ट है कि गाजियाबाद महायोजना 2021 में चिन्हित इन्टिग्रेटिड टाउनशिप क्षेत्र के अंतर्गत धारा 143 के प्रख्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि चिन्हित क्षेत्र के अतर्गत कोई भी निर्माण/विकास कार्य उक्त शासनादेश तथा महायोजना 2021 के प्राविधानों का अनुपालन करते हुये ही किया जा सकता है । कृपया सूचनार्थ ।

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष कार्याधिकारी